मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 10763/22/वि–12/ग्रासप्रा/Maint-2/19 भोपाल, दिनांक 05/08/2019

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म.प्र.शासन,
पालिका भवन, शिवाजी नगर,
भोपाल म.प्र.

विषयः–म.प्र.अर्बन कंपनी लिमिटेड़ के अंतर्गत संपादित की जा रही जल प्रदाय व मल जल योजनाओं की पाइप लाइन, म.प्र.गामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सड़कों के किनारे अथवा नीचे से बिछाये जाने के संबंध में मार्गदर्शी दिशा निर्देश।

संदर्भः–1. आपका पत्र क्र. 3455/MPUDC/PMU/2019 Bhopal दिनांक 15.05.2019।
2. आपका पत्र क्र. 4882/MPUDC/PMU/2019 Bhopal दिनांक 02.07.2019।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों से म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी की जल एवं मल जल योजनाओं की पाइन लाइन बिछाने के संबंध में सामान्य मार्गदर्शी सिद्वान्त/दिशा निर्देश चाहे गये थे। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गो में पाइप/सीवेज लाइन बिछाने के संबंध में दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्वान्तों का विवरण संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्राधिकरण के संबंधित महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त कर दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्वान्तों का पालन करते हुए कार्य करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(उमाकांत उमराव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गो में म.प्र. अर्बन डेव्लपमेंट विभाग की पाइन/सीवेज लाइन बिछाने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त

स.क.	दिशा निर्देशों का विवरण
1	म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग Pipe Line सड़क के किनारे अथवा सड़क को कॉस करने की स्थिति में, म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग द्वारा मार्ग में जहां-जहां Pipe Line बिछाई जाना है संपूर्ण जानकारी लाइन डाइग्राम में अंकित कर MPRRDA के संबंधित महाप्रबंधक कार्यालय को अवगत कराया जावेगा, एवं संबंधित महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।
2	Pipe Line को Right of Way के किनारे पर बिछाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जहां Right of Way की चौड़ाई सीमित है, अथवा अन्य कोई स्थाई बाधा या निर्माण है, वहां पर Pipe Line को सड़क की Drain को Clear करते हुए Toe Line के बाहर बिछाया जायेगा।
3	Pipe Line को यदि पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन रोड को कॉस करना आवश्यक है तो उस स्थिति में Pipe Line को जहां तक संभव हो सके वहां सड़क मार्ग में पूर्व निर्मित पुल एवं पुलियों के नीचे से कॉस कराये जाने की व्यवस्था की जावेगी। पूर्व निर्मित पुल पुलियों में Pipe Line बिछाये जाने के कार्य नाला अथवा नदी के Bed Level के नीचे Concrete Casing एवं Concrete Cover के साथ इस प्रकार संपादित कराया जावे कि निर्मित/निर्माणाधीन पुल पुलिया का Designed Water Way में परिर्वतन न हो। यह कार्य कराने की संपूर्ण जवाबदारी म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग की होगी। (परन्तु यह अनुमति हयूम पाईप पुलिया के लिये लागू नही होगी)। यदि Pipe Line सड़क को कॉस कर रही है तो उस स्थिति में Pipe Line के नीचे CC M-15 की 15 Cm bedding के पश्चात् Trench को Granular/ Crushed Stone Material से भरने के पश्चात् ऊपर Wearing Coat के रूप में 20 CM मोटाई का CC M-30 से कार्य कराना होगा। Pipe Lineयदि मार्ग के शोल्डर पर बिछाई-जाती है तो, बिछाने के पश्चात् Trench की Back Filling पुनः Granular/ Crushed Stone Material से व्यवस्थित रूप से Watering Compaction के साथ किया जाना आवश्यक होगा।
4	Without encasement रोड कटिंग कर पाइप बिछाने की स्थिति में इस वात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पाइप के ऊपर कम से कम 1.2 मी का कुशन स्थापित हो तथा पाइप की Trench की भरायी 2 स्तर पर Granular matarial से की जाएगी। प्रथम में पाइप के टॉप तक भरायी की समुचित Compaction कर द्वितीय स्तर में मार्ग के GSB स्तर तक भरायी कर समुचित Compaction किया जाएगा।
5	सड़क के किनारे Pipe Line बिछाने हेतु जो Trench खोदी जावेगी, उसमें खुदाई से प्राप्त मटेरियल सड़क के Formation Width के ऊपर नही डाला जावेगा। विशेष परिस्थितियों में खुदाई से प्राप्त मटेरियल Side Slope, Rain Cut में डाला जा सकेगा। खुदाई से प्राप्त अतिशेष मटेरियल PMGSY के सबंधित कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार Disposal किया जाना आवश्यक होगा।
6	PMGSY की पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन सड़क से म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग की Pipe Line कॉस करने की स्थिति में सड़क पर यातायात बाधित न हो एवं निर्माणाधीन सड़क में निर्माण गतिविधियाँ प्रभावित नही हो इस हेतु Diversion Road निर्धारित चौड़ाई में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग के अनुबंधित ठेकेदार द्वारा बनाया जाने का संपूर्ण दायित्व म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग का होगा।
7	Diversion Road बनाये जाने की स्थिति में मुख्य मार्ग पर उचित अवरोधक, रात्रिकालीन संकेत सूचक व सड़क सुरक्षा इत्यादि व्यवस्थायें करने का उत्तदायित्व म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग का होगा।
8	Pipe Line कॉसिंग का कार्य व Road Restoration का कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुरूप पूर्ण होने व इस संबंध मे MPRRDA के संबंधित कार्यालय द्वारा संतोषप्रद कार्यपूर्णता सुनिश्चित होने तक Diversion Road के रखरखाव का उत्तदायित्व म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग का होगा। Road restoration का कार्य Road cutting के 15

Scanned with CamScanner

स.क्र.	दिशा निर्देशों का विवरण
	दिन के अंदर पूर्ण किया जाए साथ ही यातायात सुरक्षा मानकों का भी पालन किया जाएगा। यदि Road Restoration का कार्य समय सीमा में पूर्ण नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में MPRRDA अपने संविदाकार से Road Restoration का कार्य पूर्ण करावेगा एवं उस पर आना वाला व्यय का भुगतान नगरीय प्रशासन को करना होगा।
9	Pipe Line बिछाने के कार्य में म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग के संबंधित ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संपादन में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है अथवा कार्यो के संपादन में अनावश्यक विलम्ब किया जाना पाया जाता है तो इस स्थिति में म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये अपने कार्यालय स्तर से इन कार्यो को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
10	ठेकेदार का पूर्णतः प्रमाण पत्र एंव धरोहर राशि वापस करने के पूर्व MPRRDA से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना म.प्र. अर्वन डेवलनमेन्ट विभाग को आवश्यक होगा।

3.8.19

(पी.के.निगम)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल